

सं.3/1/2017-ई.॥(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

\*\*\*\*

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2019

शुद्धि-पत्र

**विषय: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना - दुर्गम स्थल भत्ते में सम्मिलित विशेष प्रतिकर भत्ते प्रदान किया जाना।**

अधोहस्ताक्षरी को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप दुर्गम स्थल भत्ते में सम्मिलित किए गए विशेष प्रतिकर भत्ते प्रदान किए जाने के संबंध में इस विभाग के 19 जुलाई, 2017 के समसंख्यक कार्यालय जापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। इस संबंध में, उक्त कार्यालय जापन के अनुबंध-1 में, जहां स्थानों/इलाकों का उल्लेख है, भाग 'क' क्रम सं. 4 - जम्मू और कश्मीर - "डोडा जिले के तहत कश्मीर तहसील में पड़र और नियाबत नौगाम के इलाके" को "किश्तवार तहसील में पड़र और नियाबत नौगाम के इलाके" पढ़ा जाए।

निर्मला देव

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग - मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।